बीए ऑनर्स प्रोग्राम के लिए सीट आवंटन नीति

बीए ऑनर्स प्रोग्राम में सीट आवंटन नीति उन नियमों और प्रक्रियाओं को दर्शाती है, जिनका पालन परीक्षा प्राधिकरण द्वारा पात्र उम्मीदवारों को विभिन्न विषयों में उपलब्ध सीटें आवंटित करने के लिए किया जाता है।

हम निम्नलिखित नियमों के आधार पर बीए के प्रत्येक विषय में परिभाषित **सीट मैट्रिक्स** के अनुसार सीटों का आवंटन करते हैं:

---

1. श्रेणीवार आरक्षण (डीडीयूजीयू नीति के अनुसार):

- **अनारक्षित (50%)**, जिसमें **ईडब्ल्यूएस (10%)** शामिल है
- **ओबीसी (27%)**
- **एससी (21%)**
- **एसटी (2%)**

क्षैतिज आरक्षण (16%) उपर्युक्त प्रत्येक श्रेणी में लागू होता है, जिसमें निम्नलिखित उप-श्रेणियां शामिल हैं:

- **दिव्यांग (5%)**
- **स्वतंत्रता सेनानी (2%)**
- **पूर्व सैनिक (2%)**
- **कारगिल योद्धा (1%)**
- **कश्मीरी विस्थापित (5%)**
- **सैनिकों के आश्रित (1%)**

---

2. सीट आवंटन मेरिट रैंक, श्रेणी कोटा, और उम्मीदवार द्वारा चुनी गई च्वाइस के अनुसार होता है।

3. सामान्य रैंक के आधार पर उम्मीदवार को चुना जाता है। फिर उम्मीदवार द्वारा दी गई च्वाइस को प्राथमिकता क्रम में देखा जाता है।

4. चॉइस लॉक के समय, उम्मीदवार कई विकल्प दर्ज कर सकता है। प्रत्येक विकल्प में 3 विषयों का एक संयोजन होता है।

5. सबसे पहले, उम्मीदवार की पहली च्वाइस को चुना जाता है और तीनों विषयों की अनारक्षित श्रेणी में उपलब्धता जांची जाती है। यदि सभी उपलब्ध हैं, तो सीट अनारक्षित श्रेणी में लॉक हो जाती है।

6. यदि सीट अनारक्षित श्रेणी में लॉक नहीं होती है और उम्मीदवार सामान्य श्रेणी या, EWS श्रेणी का है और क्षैतिज उप-श्रेणी (Horizontal Sub-category) से संबंधित है, तो तीनों विषयों की उपलब्धता उस क्षैतिज उप-श्रेणी में जांची जाती है। यदि उपलब्ध हों, तो सीट उस उप-श्रेणी के अंतर्गत लॉक हो जाती है।

7. यदि सीट अब भी लॉक नहीं होती, तो निम्न दो स्थितियां बनती हैं:

a) यदि उम्मीदवार आरक्षित श्रेणी (ईडब्ल्यूएस/ ओबीसी/ एससी/ एसटी) से संबंधित है:

- तो तीनों विषयों की उपलब्धता उम्मीदवार की श्रेणी में जांची जाती है। यदि उपलब्ध हों, तो सीट उस श्रेणी में लॉक हो जाती है।
- यदि उपलब्ध नहीं हो, और उम्मीदवार OBC, SC, या ST श्रेणी का है और क्षैतिज उप-श्रेणी (Horizontal Sub-category) से संबंधित है, तो तीनों विषयों की उपलब्धता उस क्षैतिज उप-श्रेणी में जांची जाती है। यदि उपलब्ध हों, तो सीट उस उप-श्रेणी के अंतर्गत लॉक हो जाती है।
- यदि उपलब्ध नहीं हो, तो अगली च्वाइस के विषय संयोजन पर यही प्रक्रिया दोहराई जाती है, जब तक कि सीट आवंटित न हो जाए या अंतिम विकल्प न आ जाए।

b) यदि उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी से संबंधित है:

- तो अगली च्वाइस के विषय संयोजन को चुना जाता है और यही प्रक्रिया दुहराई जाती है, जब तक कि सीट आवंटित न हो जाए या अंतिम विकल्प न आ जाए।

नोट:

- किसी विशेष श्रेणी में तभी विषय संयोजन आवंटित किया जाएगा जब **तीनों विषय उसी श्रेणी में उपलब्ध हों।**
- यदि कोई भी विकल्प उपलब्ध न हो, तो उम्मीदवार को **Un-Alloted** के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

निदेशक
प्रवेश प्रकोष्ठ